<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट</u>

पूजा देवी बनाम नारद निषाद आदि

<u>08.05.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

आवेदिका पूजा देवी द्वारा विपक्षीगण नारद निषाद, धनपतिया, कल्लू व अमृतलाल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक से विवेचना कराए जाने का आदेश दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन यह किया गया है कि उसका विवाह दिनांक 11.05.2018 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विपाक्षी सं0–1 नारद निषाद के साथ हुआ था तथा वह बिदा होकर अपने ससुराल गयी थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करके उसका विवाह किया था। वह विवाह के पश्चात जब दूसरी बार बिदा होकर ससुराल गयी तो उसके पति,सास,ससुर व देवर सभी ने शादी में कम दहेज मिलने का ताना मारने लगे। उसने अपने माता पिता को फोन करके सारी बात बतायी। उसके माता पिता ने ससुरालीजनो से आरजू मिन्न्त की कि अब वे और रूपया नहीं दे सकते किन्तु उपरोक्त ससुरालीजन अपनी मांग को पूरी कराये बगैर मानने को तैयार नहीं हुए। उसके हाथ से उसके पति का मोबाइल पानी में गिर गया तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि उसका 5000/–रू0 का मोबाइल था, अपने बाप से 5000/–रू0 लेकर आओ। जब तक उसके पिता ने उक्त 5000/–रू0 नहीं दे दिया तब तक उसके पति आये दिन मारपीट करता था। उक्त घटना के बाद चूंकि उसका पति सटटा खेलने का शौकीन है तो कहने लगा कि 10,000/–रू0 अपने पिता से और लेकर आओ तो उसके पिता ने मजबूर होकर 10,000/–रू0 भी दिये। इसके बावजूद उसके पति व ससुरालीजनो के अत्याचार बंद नहीं हुए तथा उसका पति उसको बाहर मजदूरी करके कमाने के लिए भी मारपीट करने लगा और सास, ससुर तथा देवर भी उसके पति का सहयोग करते थे। इस प्रकार उसके विवाह को एक वर्ष भी पूरे नहीं हुए इस बीच उसके पति ने कई बार उसके साथ मारपीट की किन्तु वह यह सोचकर रह जाती कि समय के साथ उक्त लोगो के अत्याचार व व्यवहार में परिवर्तन हो जायेगा किन्तु उक्त लोगो के अत्याचार बढते ही गये। उसके पिता ने कई बार रिश्तेदार को लेकर उसके ससुराल जाकर पंचायत करवाई किन्तु विपक्षीगण के आचरण में कोई सुधार नहीं आया। दिनांक 10.04.2019 को उपरोक्त सभी लोगो ने उसको अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण मारापीटा तथा घर से मारपीटकर बाहर निकाल दिया। वह किसी तरह अपने मायके आयी और तब से अपने मायके में ही निवास कर रही है। उसने थाने पर व जरिए पंजीकृत डाक पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों पर प्राथमिकी दर्ज

कराए जाने की याचना की गई है।

अपने कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक व पंजीकृत डाक रसीद, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

थाने की आख्या उपलब्ध है। थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या अपराध संज्ञेय प्रकृति का कारित किया जाना पाया जाता है तथा विवेचना कराए जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3)दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष कर्वी जिला चित्रकूट को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें/कराएं तथा आख्या न्यायालय में दिनॉक 29.05.2019 तक प्रस्तुत करें।

सी0जे0एम0
चित्रकूट।